

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/B/2022-23/19752/मूल पत्रावली/वि.वि.विधेयक/57 दिनांक : 18/11/2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में सामान्य वाद विवाद व वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में की गई घोषणा की पालना में एवं शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : प.17(2)प्राशि/आयों./HEM/2022 जयपुर, दिनांक : 09.11.22 के सन्दर्भ में संलग्न सूची अनुसार 02 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. क्रमोन्नत विद्यालय में प्रारम्भ में कक्षा 6 संचालित की जायेगी, लेकिन पर्याप्त नामांकन होने पर कक्षा 7 व 8 भी साथ ही प्रारम्भ की जा सकेंगी ।
3. क्रमोन्नत विद्यालय में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदण्डानुसार किया जायेगा ।
4. इन विद्यालयों में कमरों का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एमपीएलएडी अथवा जन सहयोग के माध्यम से कराया जावेगा ।
5. क्रमोन्नत विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि., जहां नामांकन की अपेक्षा कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन विद्यालयों से अध्यापक (L-2) के 03 शिक्षक (नामांकन के आधार पर) लगाया जाना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न : रा.प्रा.वि. से रा.उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत 02 विद्यालयों की सूची ।

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत), कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, कार्यालय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक), कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. राज्य परियोजना निदेशक महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा ।

P.T.O.

8. जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।
9. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. स. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के प्रासांगिक आदेश की पालना में आरक्षित पदों में से प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक (L-2) के पद आवंटित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आप जिला कलक्टर महोदय से व्यक्तिशः सम्पर्क कर समन्वय स्थापित करते हुए भूमि आवंटन कराया जाना सुनिश्चित करें। अगर विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है तो इस सम्बन्ध में सूचना जिला कलक्टर महोदय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
14. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अधिनस्थ कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए क्रमोन्नत किये गये विद्यालय में आवश्यकतानुसार कमरों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
15. सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अधिनस्थ कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए क्रमोन्नत किये गये विद्यालय में बिंदु संख्या 5 में दिये गये निर्देशानुसार अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
16. सहायक निदेशक, मॉनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बजट घोषणा की पूर्ति हेतु क्रमोन्नत किये गये राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की प्रविष्टि आपके अनुभाग के रिकॉर्ड में की जानी सुनिश्चित करें।
17. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


 (अशोक) सांगवा
 R.A.S.
 अति. निदेशक (प्र.)
 प्रारम्भिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

वर्ष 2022-23 सामान्य वाद विवाद व वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में की गई घोषणा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

S.no.	District	Village	Gram panchayat	School name	NIC code	Dise code	Block	Vidhansabha
1	BARMER	KAMTHAI	KAMTHAI	GOVT. PRIMARY SCHOOL PACHAYAT HQ. KAMTHAI (503652)	503652	08170502802	SINDHARI	SIWANA
2	BARMER	DUDIYA KALLA	DOODIYA KALAN	GOVT. PRIMARY SCHOOL DUDIYA GANV (403881)	403881	08170817101	DHORIMANNA	GUDAMALANI

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
प.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर